

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: आई.डी.एस.पी./2024/115

दिनांक: 18.03.24

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:-MUMPS केसेज के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ:-दिनांक 14.03.24 को भारत सरकार से आयोजित वी.सी. के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.03.24 को आयोजित वी.सी. में दिये गये निर्देशानुसार देश में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष MUMPS के केसेज में वृद्धि हुयी है। इस संदर्भ में आपके जिले में निम्न गतिविधियों सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें:-

- MUMPS रोग के फैलाव, लक्षण व बचाव के साथ चिकित्सकीय परामर्श हेतु जागरूक करें।
- निजी व सरकारी विद्यालयों में बच्चों में लक्षण पाये जाने पर विद्यालय द्वारा सात दिवस के लिये बच्चे को घर पर रहने एवं चिकित्सकीय सलाह दें।
- दैनिक सर्वे के माध्यम से MUMPS रोगियों को चिन्हित करें।
- संदिग्ध व्यक्तियों के जांच हेतु सैम्पल (Urine-Plain vial, Buccal Swab-VTM, Saliva-Plain vial) एसएमएस, जयपुर को भिजवावें।
- MUMPS केसेज की रिपोर्टिंग नियमित रूप से आईएचआईपी पोर्टल पर इन्द्राज करवाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 18.03.24

क्रमांक: आई.डी.एस.पी./2024/115

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, निदेशक (जनस्वास्थ्य), मुख्यालय।
4. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
5. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
7. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), राजस्थान।
8. प्रभारी सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल करने बाबत।
9. कार्यालय प्रति।

RajKaj Ref
6204811

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAVI PRAKASH
<mailto:rp@rajpo.co.in>
RAVI PRAKASH
PARKASH MATIUR
Designation: Director
Date :18-03-2024 12:53:42